न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–श्री रणजीत कुमार आरएएस

मुकदमा संख्या :– 300/2022(जीसीएमएस दर्ज संख्या – 2022/84)

अनवान मुकदमा –

1. गगनजीत सिंह पुत्र सुखजीत सिंह जाति जटसिख साकिन रामपुरा सिद्ववान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
2. जितेन्द्र सिंह पुत्र गुरजीत सिंह जाति जटसिख साकिन रामपुरा सिद्ववान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
3. हरप्रीत कौर पत्नी गुरजीत सिंह जाति जटसिख साकिन रामपुरा सिद्ववान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।

–– वादीगण

बनाम

1. हरमन्द्र सिंह पुत्र बख्तावर सिंह जाति जटसिख साकिन रामपुरा सिद्ववान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. जसविन्द्र कौर पत्नी हरमन्दर सिंह जाति जटसिख साकिन रामपुरा सिद्ववान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. गुरजीत सिंह पुत्र हरमन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन रामपुरा सिद्ववान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. हरपिन्द्र कौर पत्नी सुखजीत सिंह जाति जटसिख साकिन रामपुरा सिद्ववान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. नवप्रीत कौर पुत्री सुखजीत सिंह जाति जटसिख साकिन रामपुरा सिद्ववान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

–– प्रतिवादीगण

–:वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 रा.का.अधि. बाबत घोषणा एवं विभाजनः–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हरजिन्द्र रमाणा अधिवक्ता --- वादीगण
2. श्री चानणराम अधिवक्ता --- प्रतिवादी सं. 1 ता 5
3. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा --- प्रतिवादी सं. 6

–:: निर्णय :–

दिनांक – 05/08/2022

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत एवं प्रमाणित पता वहीं है जो वाद पत्र के शीर्षक में है।

वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 5 एक ही सयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है जो हिन्दु विधि के मिताक्षरा स्कुल ऑफ लॉ से शास्ति होते है। जो परस्पर सहदायिकी व सहअशंदायी है। वादीगण व प्रतिवादीगण का सजरा खानदान पेश किया गया है।

प्रतिवादी सं. 1 के नाम कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 41 एलएलडब्ल्यू के खाता सं. 216/126 के प.नं. 13/232 (24) किला नं. 1, 2, 9/1, ता

05/08/2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

12 की 1.518 हैक. व इसी चक के खाता सं. 199/159 के प.नं. 13/232 (24) किला नं. 13, 18 ता 23/2 की 1.771 हैक., प.नं. 13/237 (51) किला नं. 23 ता 25 की 0.759 हैक. कुल 2.530 हैक. अनकमांड मय रास्ता खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है। नकल जमाबंदी सलगंन वाद पत्र की गई है।

वादी सं.1 व प्रतिवादी सं. 1, 3, 4, 5 के नाम सयुक्त खाता में कृषि भूमि में तहसील पीलीबंगा के चक 41 एलएलडब्ल्यू के खाता सं. 116/88 के प.नं. 13/238 (52) किला नं. 1/1, 1/2, 2, 9 ता 12, 18 ता 23 की 3.036 प.नं. 17/239 (57) किला नं. 11, 12, 13, 20, 21 की 1.265 कुल खाता 4.301 हैक. भूमि दर्ज रिकार्ड वाके है व चक 40 एलएलडब्लयू-बी के खाता सं. 66/61 के प.नं. 8/234 (3) किला नं. 20, 21/1, 21/2 की 0.417 है0, प.नं. 9/234 किला नं. 16, 17, 18, 21 ता 25 की 1.442 है0, प.नं. 9/235 (4) किला नं. 1 ता 10 की 2.530 है0 कुल खाता 4.389 हैक. भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है। नकल जमाबंदी सलगंन वाद पत्र की गई है।

प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 41 एलएलडब्ल्यू के खाता सं. 59/158 के प.नं. 15/233 (31) किला नं. 11/2, 12/2, 19/2 ता 25/3 की 1.2520 है0, प.नं. 15/234 (34) किला नं. 1, 2, 5/1 की 0.595, प.नं. 16/233 (29) किला नं. 13 ता 18/2 की 1.037 कुल खाता 2.884 हैक. भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है। नकल जमाबंदी सलगंन वाद पत्र की गई है।

वाद पत्र की दफा 4, 5, 6 में वर्णित भूमि प्रतिवादी सं. 1, 2, 3 को विरास्तन प्राप्त हुई है। जिसका वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य अर्सा दराज पूर्व अच्छी मंदी व खाला रास्ता की सुविधा अनुसार घरू बंटवारा हो चुका है और उसी अनुसार वादीगण अपनी घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादी सं. 5 ने अपना हक हिस्सा वादी सं.1 के पक्ष में छोड़ दिया है। वह इस भूमि में अपना हक व हिस्सा नही लेना चाहती है। वादीगण व प्रतिवादीगण को घरू बंटवारा में निम्न कृषि भूमि प्राप्त हुई है –

क. वादी सं.1 को घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि –

तहसील पीलीबंगा के चक 41 एलएलडब्ल्यू के खाता सं. 116/88 के प.नं. 13/238 (52) किला नं. 1/1, 1/2, 9 ता 12, 18 ता 23 की 3.036 हैक., खाता सं. 119/159 के प.नं. 13/232 (24) किला नं. 13, 18, 19, 22/1 ता 23/2 की 1.265 हैक., प.नं. 13/237 (51) किला नं. 23 ता 25 की 0.759 हैक., खाता सं. 216/126 के प.नं. 13/232 (24) किला नं. 12 की 0.253 हैक. इस प्रकार कुल 5.313 हैक. भूमि।

ख. वादी सं.2 को घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि –

तहसील पीलीबंगा के चक 40 एलएलडब्ल्यू-बी के खाता सं. 66/61 के प.नं. 9/235 (4) किला नं. 1/1/.114, 1/2/.012, 6/1 ता 10 की 1.391 हैक., चक 41 एलएलडब्ल्यू के खाता सं. 216/126 के प.नं. 13/232 किला नं. 1, 2, 9/1 ता 11 की 1.265 हैक., खाता सं. 199/159 के प.नं. 13/232 (24) किला नं. 20 ता 21/2 की 0.506 हैक. इस प्रकार कुल 3.162 हैक. भूमि।

ग. वादीया सं.3 को घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि –

तहसील पीलीबंगा के चक 41 एलएलडब्ल्यू के खाता सं. 59/158 के प.नं. 15/233 (30) किला नं. 22/.127, 24/.063 कुल 0.190 हैक., प.नं. 15/234 (30) किला नं. 2 की 0.253 हैक., प.नं. 16/233 (29) किला नं. 14/1/0.025, 14/2/.038, 15/2/.050, 15/3/.064, 16/1/.215, 16/2/.038, 17, 18/2/.139 की कुल 0.822 हैक. कुल 1.265 है0 कृषि भूमि।

घ. प्रतिवादी सं.3 को घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि –

05/08/2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

तहसील पीलीबंगा के चक 40 एलएलडब्ल्यू -बी के खाता सं. 66/61 के प.नं. 8/234 (3) किला नं. 20/.164, 21/1/.228, 22/2/.025 की 0.417 हैक., प.नं. 9/234 (2) किला नं. 16 ता 18, 21 ता 25 की 1.442 हैक., प.नं. 9/235 (4) किला नं. 1/1/.114, 1/2/.013, 2 ता 5 की 1.139 हैक., चक 41 एलएलडब्ल्यू के खाता सं. 116/88 के प. नं. 17/239 (57) किला नं. 11, 12, 13, 20, 21 की 1.265 हैक. इस प्रकार कुल 4.263 हैक. भूमि।

ड़. प्रतिवादी सं.4 को घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि – तहसील पीलीबंगा के चक 41 एलएलडब्ल्यू के खाता सं. 59/158 के प.नं. 15/233 (30) किला नं. 11/2/.013, 12/2/.013, 19/2/.114, 20/.240, 21/.253, 22/.126 की 0.759 हैक., प.नं. 15/234 (34) किला नं. 1 की 0.253, 5/1/0.038 हैक. कुल 0.291 है0, प.नं. 16/233 (29) किला नं. 13/0.038, 14/1/0.177 कुल 0.215 हैक. उतरी दिशा इस प्रकार कुल 1.265 हैक. कृषि भूमि।

चक 41 एलएलडब्ल्यू के खाता सं. 59/158 में शेष 0.354 हैक. भूमि प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार वादीगण अपनी घरू बंटवारा अनुसार प्राप्त कृषि भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है इसी अनुसार वादीगण खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के हकदार है। प्रशगनत भूमि सयुक्त खाता की भूमि है जिसका पक्षकारान के मध्य आये दिन सींव बट व रकमराज को लेकर तनाजा बना रहता है। इसलिये वादीगण अपनी घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का खाता प्रतिवादीगण से तकसीम करवाकर रकम राज अलग कायम करवाने के हकदार है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा कहा कि वे वादीगण की घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वादीगण को खातेदार मानते हुए खाता विभाजन करवाते हुए राजस्व रिकार्ड में अकंन करवा देवे तो वे कुछ दिन तो टाल मटौल करते रहे परन्तु आज से करीब 5 रोज पूर्व वे ऐसा करने से बिल्कुल मना हो गये बस यही वाद कारण है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :-

घोषित किया जावे कि वाद पत्र की दफा 4 ता 6 में वर्णित कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा वादीगण वाद पत्र की दफा 7 की उप दफा क से ड़ अनुसार प्राप्त करने के अधिकारी है व उसी अनुसार वादोगण अपना खाता प्रतिवादीगण से तकसीम करवाने का अधिकारी है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर से श्री चानणराम अधिवक्ता हाजिर आये। वकालतनामा पेश किया। वादीगण अधिवक्ता द्वारा दिनांक 05.06.2022 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी एवं 151 सीपीसी को पेश किया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 अधिवक्ता द्वारा अनापत्ति दी गई। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी एवं 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 5 मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष के वकीलों द्वारा पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गई कि दोनो पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गई। पहचान सिद्व होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल

05/08/2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

मिसल किया गया। जवाब स्टेट प्राप्त हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

इस सम्बंध में आरआरडी 1981 पेज 512 आरटीए की धारा 40-53, 38-39-40, आरआरडी 1966 पेज 71 एआईआर 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आरआरडी पेज 219 आरआरडी 1975-478, एआईआर 1966 (एससी) 432 आरआरडी 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आरटीए की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर के पत्रांक प. 5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषको में जोत के विभाजन की सहमति हो जाये तो ऐसी सहमति के आधार पर डिक्री की जा सकती है।

एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

-:: आदेश ::-

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि का निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है-

क. वादी सं.1 -

तहसील पीलीबंगा के चक 41 एलएलडब्ल्यू के खाता सं. 116/88 के प.नं. 13/238 (52) किला नं. 1/1, 1/2, 9 ता 12, 18 ता 23 की 3.036 हैक., खाता सं. 119/159 के प.नं. 13/232 (24) किला नं. 13, 18, 19, 22/1 ता 23/2 की 1.265 हैक., प. नं. 13/237 (51) किला नं. 23 ता 25 की 0.759 हैक., खाता सं. 216/126 के प. नं. 13/232 (24) किला नं. 12 की 0.253 हैक. इस प्रकार कुल 5.313 हैक. भूमि।

ख. वादी सं.2 -

तहसील पीलीबंगा के चक 40 एलएलडब्ल्यू-बी के खाता सं. 66/61 के प.नं. 9/235 (4) किला नं. 1/1/.114, 1/2/.012, 6/1 ता 10 की 1.391 हैक., चक 41 एलएलडब्ल्यू के खाता सं. 216/126 के प.नं. 13/232 किला नं. 1, 2, 9/1 ता 11 की 1.265 हैक., खाता सं. 199/159 के प.नं. 13/232 (24) किला नं. 20 ता 21/2 की 0.506 हैक. इस प्रकार कुल 3.162 हैक. भूमि।

ग. वादीया सं.3 -

तहसील पीलीबंगा के चक 41 एलएलडब्ल्यू के खाता सं. 59/158 के प.नं. 15/233 (30) किला नं. 22/.127, 24/.127, 25/.039 हैक., प.नं. 15/234 (30) किला नं.

05/08/2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

2 की 0.253 हैक., प.नं. 16/233 (29) किला नं. 13/.126, 14/1/.202, 14/2/.038, 15/2/.038, 15/3/.050, 16/1/.215, 16/2/.038, 17, 18/2/.139 की कुल 1.265 हैक. भूमि।

घ. प्रतिवादी सं.3 –

तहसील पीलीबंगा के चक 40 एलएलडब्ल्यू –बी के खाता सं. 66/61 के प.नं. 8/234 (3) किला नं. 20/.164, 21/1/.228, 22/2/.025 की 0.417 हैक., प.नं. 9/234 (2) किला नं. 16 ता 18, 21 ता 25 की 1.442 हैक., प.नं. 9/235 (4) किला नं. 1/1/.114, 1/2/.013, 2 ता 5 की 1.139 हैक., चक 41 एलएलडब्ल्यू के खाता सं. 116/88 के प.नं. 17/239 (57) किला नं. 11, 12, 13, 20, 21 की 1.265 हैक. इस प्रकार कुल 4.263 हैक. भूमि।

ड़. प्रतिवादी सं.4 –

तहसील पीलीबंगा के चक 41 एलएलडब्ल्यू के खाता सं. 59/158 के प.नं. 15/233 (30) किला नं. 11/2/.013, 12/2/.013, 19/2/.114, 20/.240, 21/.253, 22/.126, 24/.038 की 0.797 हैक., प.नं. 15/234 (34) किला नं. 1 की 0.253, 5/1/.89 हैक., प.नं. 16/233 (29) किला नं. 13 में 0.126 हैक. उतरी दिशा इस प्रकार कुल 1.265 हैक. भूमि।

खाता संख्या 59/158 की शेष भूमि 0.354 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम ब.हि.ब. रहेगी।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

05/08/2022

(रणजीत कुमार RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

डिक्री व मुकद्में इब्तदाई
(आ0-20 रूल 6, 7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस

मुकदमा संख्या :- 300/2022(जीसीएमएस दर्ज संख्या – 2022/84)

अनवान मुकदमा –

1. गगनजीत सिंह पुत्र सुखजीत सिंह जाति जटसिख साकिन रामपुरा सिद्ववान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
2. जितेन्द्र सिंह पुत्र गुरजीत सिंह जाति जटसिख साकिन रामपुरा सिद्ववान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।
3. हरप्रीत कौर पत्नी गुरजीत सिंह जाति जटसिख साकिन रामपुरा सिद्ववान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान। -- वादीगण

बनाम

1. हरमन्द्र सिंह पुत्र बख्तावर सिंह जाति जटसिख साकिन रामपुरा सिद्ववान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. जसविन्द्र कौर पत्नी हरमन्दर सिंह जाति जटसिख साकिन रामपुरा सिद्ववान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. गुरजीत सिंह पुत्र हरमन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन रामपुरा सिद्ववान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. हरपिन्द्र कौर पत्नी सुखजीत सिंह जाति जटसिख साकिन रामपुरा सिद्ववान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. नवप्रीत कौर पुत्री सुखजीत सिंह जाति जटसिख साकिन रामपुरा सिद्ववान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

-- प्रतिवादीगण

-: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 रा.का.अधि. बाबत घोषणा एवं विभाजन :-

-:: डिक्री ::-

दिनांक – 05/08/2022

वादीगण की ओर से श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर श्री चानणराम अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को रणजीत कुमार आरएएस उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि वाद में वर्णित भूमि के निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है –

क. वादी सं.1 को घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि –

तहसील पीलीबंगा के चक 41 एलएलडब्ल्यू के खाता सं. 116/88 के प.नं. 13/238 (52) किला नं. 1/1, 1/2, 9 ता 12, 18 ता 23 की 3.036 हैक., खाता सं. 119/159 के प.नं. 13/232 (24) किला नं. 13, 18, 19, 22/1 ता 23/2 की 1.265 हैक., प.नं. 13/237 (51) किला नं. 23 ता 25 की 0.759 हैक., खाता सं. 216/126 के प.नं. 13/232 (24) किला नं. 12 की 0.253 हैक. इस प्रकार कुल 5.313 हैक. भूमि।

05/08/2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

ख. वादी सं.2 को घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि –
तहसील पीलीबंगा के चक 40 एलएलडब्ल्यू–बी के खाता सं. 66/61 के प.नं. 9/235 (4) किला नं. 1/1/.114, 1/2/.012, 6/1 ता 10 की 1.391 हैक., चक 41 एलएलडब्ल्यू के खाता सं. 216/126 के प.नं. 13/232 किला नं. 1, 2, 9/1 ता 11 की 1.265 हैक., खाता सं. 199/159 के प.नं. 13/232 (24) किला नं. 20 ता 21/2 की 0.506 हैक. इस प्रकार कुल 3.162 हैक. भूमि।

ग. वादीया सं.3 को घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि –
तहसील पीलीबंगा के चक 41 एलएलडब्ल्यू के खाता सं. 59/158 के प.नं. 15/233 (30) किला नं. 22/.127, 24/.063 कुल 0.190 हैक., प.नं. 15/234 (30) किला नं. 2 की 0.253 हैक., प.नं. 16/233 (29) किला नं. 14/1/0.025, 14/2/.038, 15/2/.050, 15/3/.064, 16/1/.215, 16/2/.038, 17, 18/2/.139 की कुल 0.822 हैक. कुल 1.265 है0 कृषि भूमि।

घ. प्रतिवादी सं.3 को घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि –
तहसील पीलीबंगा के चक 40 एलएलडब्ल्यू –बी के खाता सं. 66/61 के प.नं. 8/234 (3) किला नं. 20/.164, 21/1/.228, 22/2/.025 की 0.417 हैक., प.नं. 9/234 (2) किला नं. 16 ता 18, 21 ता 25 की 1.442 हैक., प.नं. 9/235 (4) किला नं. 1/1/.114, 1/2/.013, 2 ता 5 की 1.139 हैक., चक 41 एलएलडब्ल्यू के खाता सं. 116/88 के प. नं. 17/239 (57) किला नं. 11, 12, 13, 20, 21 की 1.265 हैक. इस प्रकार कुल 4.263 हैक. भूमि।

ड़. प्रतिवादी सं.4 को घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि –
तहसील पीलीबंगा के चक 41 एलएलडब्ल्यू के खाता सं. 59/158 के प.नं. 15/233 (30) किला नं. 11/2/.013, 12/2/.013, 19/2/.114, 20/.240, 21/.253, 22/.126 की 0.759 हैक., प.नं. 15/234 (34) किला नं. 1 की 0.253, 5/1/0.038 हैक. कुल 0.291 है0, प.नं. 16/233 (29) किला नं. 13/0.038, 14/1/0.177 कुल 0.215 हैक. उतरी दिशा इस प्रकार कुल 1.265 हैक. कृषि भूमि।

चक 41 एलएलडब्ल्यू के खाता सं. 59/158 में शेष 0.354 हैक. भूमि प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम यथावत रहेगी।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थंगन नही हो तो नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अकंन किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफतर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 05/08/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05/08/2022

(रणजीत कुमार RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा